प्रेषक,

राघवेन्द्र, एच.जे.एस.,
जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर।

सेवा में,

श्री दुर्गेश,
निबन्धक,
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण,
35, महात्मा गाँधी मार्ग,
इलाहाबाद।

पत्रांक सं0 915/८V दिनांक 20-08-2020

विषय– चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय दावा प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि आपके द्वारा जनपद न्यायालय गाजीपुर में कार्यकाल की अवधि में अपनी माता श्रीमती ज्ञानती देवी के इलाज से सम्बन्धित चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय दावा रू0 2,41,195/ (रू0 दो लाख इकतालीस हजार ९क सौ पन्चानबे) मात्र भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया था। इस कार्यालय के पत्र सं0 80/ पन्द्रह दिनांक 18.03.2020 द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय दावा मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर को तकनीकी परीक्षण एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने हेतु प्रेषित किया गया था। मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर द्वारा अपने पत्र सं0 मु0चि0अ0चिकि0प्रति0/ 2020–21/1901 दिनांक 15.07.2020 द्वारा यह आपत्ति लगायी गयी है कि प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल में राजकीय चिकित्सालय द्वारा रेफर स्लिप संलग्न नही है। अतः मूल रूप से वापस की जाती है।

अतः आपके द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय दावा रू0 2,41,195/ (रू0 दो लाख इकतालीस हजार एक सौ पन्चानबे) मूल रूप में वापस करते हुए अनुरोध है कि उक्त कमियों को दूर कर अपने कार्यालयाध्यक्ष को दावा भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्नक–चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय दावा मूल।

भवदीय
Raghavendra 19/8/20
(राघवेन्द्र)
जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर।